

२४/१२/११

पार्थी एवं वकील पार्थी उप. नहीं। बार  
-बार आवाज दिलाई गई। किंतु कोई  
उपस्थित नहीं आया। चूंकि दावावादी  
अदम हाजिरी एवं अदम पेरवी में खारिज  
हो चुका है। तथा पूर्व में जारी T.I.  
खारिज की जाती है। प्रा. पत्र खारिज  
होने के कारण खारिज किया जाता है।  
पगावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
पहाड़ी (डीग)